



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfokatghora@gmail.com

क्रमांक / त.क.अधि. / 2023 / 7362
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 10.08.2023

तहसीलदार दीपका
जिला कोरबा (छ.ग.)

विषय : वृक्षों के विदोहन के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भ : 1. आपका पत्र क्र./288/तह./वा.1/2023 दिनांक 22.03.2023
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी कटघोरा का पत्र क्र./2023/219 दिनांक 25.07.2023
3. उप वनमंडलाधिकारी पाली का पत्र क्र./548 दिनांक 31.07.2023

—000—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक संस्था कनिष्ठ अभियंता, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोरबा छ.ग. द्वारा ग्राम कन्हैयाभाठा प.ह.न. 56 रा.नि.म. बिरदा तहसील डबल सर्किट पारेषण लाईन अंतर्गत लाईन के नीचे आने वाले सागौन के 48 नग वृक्षों के विदोहन की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत आवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त स्थल का निरीक्षण वनपरिक्षेत्र अधिकारी कटघोरा एवं उपवनमंडलाधिकारी पाली के द्वारा किया गया उनके प्रतिवेदनानुसार :-

क्र.	बिन्दु का विवरण	जानकारी
1	आवेदित क्षेत्र के नक्शे का मिलान पटवारी नक्शे से होता है। प्रमाणित करें।	हां
2	आवेदित क्षेत्र के चारों ओर की स्थिति स्पष्ट करें।	उत्तर में बीरसाय का खेत, दक्षिण में बेजूसिंह का खेत, पूर्व में इतवार का खेत एवं पश्चिम में गरुड़ सिंह का खेत।
3	आवेदित क्षेत्र राजस्व भूमि है या वन भूमि है ?	राजस्व निजी भूमि।
4	यदि राजस्व भूमि है तो नोईयत स्पष्ट की जावे।	—
5	राजस्व वन अथवा छोटे-बड़े झाड़ का जंगल तो नहीं है ?	नहीं है।
6	यदि पट्टे की अराजी है तो पट्टा आबंटन पूर्व स्वामित्व किस विभाग का था।	नहीं है।
7	भूमि स्वामी/पट्टेधारी किस जाति का है एवं उसकी सहमति है या नहीं ?	जाति से संबंधित नहीं है।
8	आवेदित क्षेत्र में वृक्ष की संख्या बतावें।	48 नग वृक्ष।
9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि. 12.12.96 के अनुसार वनक्षेत्र तो नहीं है।	नहीं है।
10	आवेदित क्षेत्र निस्तार अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु सुरक्षित तो नहीं है ?	नहीं है।
11	आवेदित क्षेत्र के आसपास नदी, नाला, तालाब, रास्ता, रेल्वे लाईन, मंदिर, मस्जिद, मरघट या अन्य कोई सार्वजनिक क्षेत्र तो नहीं है ? यदि है तो कितनी दूरी है, स्थिति स्पष्ट करें ?	नहीं है।
12	आवेदित क्षेत्र की कम्पाटमेंट/कक्ष से दूरी स्पष्ट करें।	10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

उपवनमंडलाधिकारी पाली के प्रतिवेदनानुसार उक्त क्षेत्र वन भूमि नहीं होने की स्थिति में वृक्षों के विदोहन हेतु नियमानुसार अनुमति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/कलेक्टर द्वारा दी जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा/वनमंडल कटघोरा

प्रति, प्रतिलिपि,

पावरग्रिड कार्पोरेशन।

ग्राम - कन्हैयाभ्राठा प.ह.नं. 56 रा.नि.मं. विद्या तहसील दीपठा
प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय

तहसील दीपठा जिला - कोरबा (छ.ग.)

विषय:- जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

विषयगत लेख है कि आवेदक संस्था कनिष्ठ अभियंता, पावर ग्रिड
कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कोरबा द्वारा ग्राम कन्हैयाभ्राठा स्थित
निजी भूमि में पावर ग्रिड की 765 के.वी. कोरबा जबलपुर स्वतः
सर्किट पोरषठा लाइन अंतर्गत लाइन के नीचे आने वाले खामों के
48 नग वृक्षों के विरोध की अनुमति बाबत अनुविभागीय अधिकारी
(श.) कच्छोरा के समक्ष आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन के
अनुसार आवेदित भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में 164/6 रुबबा
0.061 है. किताब सिंह पि. रामसिंह के नाम पर दर्ज है। आवेदित
भूमि ख.नं. 164/6 के रुबबा 0.061 है. में क्षेत्र 12x15 Sq.m. में
50 नग खामों वृक्ष हैं। सभी 50 नग खामों वृक्षों में से 31 नग
वृक्षों की अधिकतम मोटाई 30 cm से अधिक है एवं 19 नग वृक्षों की
अधिकतम मोटाई 30 cm से कम है।

अस्तु प्रतिवेदन सादर सम्प्रेषित है।

Vijay Swal
विकास कुमार जायसवाल
पटवारी
प.ह.नं. 56, रा.नि.मं. विद्या
तह. दीपठा, जि.-कोरबा (छ.ग.)

पंचनामा

ग्राम - कन्हैयाबाड़ा

दिनांक - 15/04/2023

आज दिनांक 15/04/2023 को स्थानीय दीपक के मा.क. 2021
तार. नं. 1/ 2023 दीपक दिनांक 22/03/2023 के परिपालन में ओवेड्ड संस्था
बनिक अभियंता पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमि. के द्वारा ग्राम
कन्हैयाबाड़ा में पावर ग्रिड की 765 के.वी. डबल सर्किट पोरेषन लाइन
के नीचे आने वाले लोगों वृक्षों के विरोध की अनुमति बाबत
ओवेड्ड के संबंध में मोठा जांच हेतु उपस्थित हुआ। मोठे पर
ओवेड्ड एवं उपस्थित व्यक्ति एवं पावर ग्रिड के कर्मचारियों की उपस्थिति
में स्थल निरीक्षण किया गया। मोठे पर ग्राम कन्हैयाबाड़ा स्थित
ख.नं. 164/6 ख.बा. 0.061 हे. में से 12 x 15 sq.m. में 50 नग
सागौन का वृक्ष लगा है। जो कि पावर ग्रिड की 765 के.वी. डबल
सर्किट पोरेषन लाइन के नीचे स्थित है। सभी 50 नग वृक्षों में
से 31 नग वृक्षों की औसत मोटाई 30 cm से अधिक है एवं
19 नग वृक्षों की औसत मोटाई 30 cm से कम है।
उक्त पंचनामा मोठे पर तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर
लिया गया।

गवाह

① जसपाल सिंह कंवर

② मान सिंह

③ लखु सिंह कंवर

④ भगवती बाई

⑤ महेंद्र पाल कंवर

पावर ग्रिड

⑥

Pankaj M. Rho
जयपुर, कोटा

पंचसिंह कंवर
सरपंच

ग्राम पंचायत - सलोरा (ख)
जनपद पंचायत - कटघोस
जिला - कोटा (छ.ग.)

किताब सिंह कंवर

ओवेड्ड

Vijay Singh
विकास कुमार जायसवाल
पटवारा
ब.नं. 56 रा.नि.म.
ब.नं. 56 रा.नि.म.
जि. - कोटा (छ.ग.)

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील दीपका जिला कोरबा

विषय:- जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत ।

महोदय,

विषयोत्तर्गत लेख है कि आवेदक संख्या कनिष्ठ अभियंता पावर ग्रिड अप्रैरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कोरबा द्वारा ग्राम कन्हैयाभाठा स्थित निजी भूमि में पावर ग्रिड डी न 65 के.वी. कोरबा जंगलपुर डबल सर्जिट पोरषण लाइन अंतर्गत लाइन के नीचे आने वाले लागाँव के 48 नग वृक्षों के विदोहन की अनुमति बाबत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कच्छोरा के समक्ष आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन के अनुसार आवेदित भूमि पर खड़े वृक्षों के विदोहन की अनुमति बाबत बिंदुवार जाँच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

रकन 164/6 खसरा 0-061 हे.

- ① प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 1 किताब सिटें पि. रामलिन के नाम पर दर्ज है। प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को पेटूक बजाराखले प्राप्त भूमि है।
- ② प्रश्नाधीन भूमि पर खड़े वृक्षों के विदोहन से लोडहित को हानि पहुँचने की संभावना नहीं है।
- ③ प्रश्नाधीन भूमि पर खड़े वृक्षों के विदोहन से भूमि के कराब की संभावना नहीं है।
- ④ प्रश्नाधीन भूमि पर खड़े वृक्ष जिसे कोरे जौने की अनुमति की मांग की जा रही है वह किसी सड़क जलधारा, सरने या तालाब के किनारे से 30 मी. के भीतर स्थित नहीं है।

प्रश्नाधीन भूमि पर खड़े वृक्ष जिसे कोटे जाने के अनुमति की मांग की जा रही है वह किसी सड़क, बैलगाड़ी के रास्ते के मध्य से 15 मी. के भीतर एवं पहाड़ी से 6 मी. के भीतर स्थित नहीं है।

⑥ प्रश्नाधीन भूमि पर खड़े वृक्ष जिसे कोटे जाने के अनुमति की मांग की जा रही है वह किसी पवित्र स्थान से 30 मी. की परिधि के भीतर किसी उपवन में स्थित नहीं है।

⑦ प्रश्नाधीन भूमि पर खड़े वृक्ष जिसे कोटे जाने के अनुमति की मांग की जा रही है वह किसी महोत्सव या उत्सव समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों में स्थित नहीं है।

⑧ प्रश्नाधीन भूमि पर खड़े वृक्ष जिसे कोटे जाने के अनुमति की मांग की जा रही है वह किसी कब्रिस्तान, इमशान स्थल अथवा गोठान, खलिहान धान्ना, आवासीय हेतु अलग से सुरक्षित विनियमों में स्थित नहीं है।

⑨ प्रश्नाधीन भूमि पर खड़े वृक्ष जिसे कोटे जाने हेतु अनुमति की मांग की जा रही है वह पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले ऊपर नीचे क्षेत्र पर स्थित नहीं है।

⑩ प्रश्नाधीन भूमि पर खड़े वृक्ष जिसे कोटे जाने के अनुमति की मांग की जा रही है उक्त वृक्ष इमारती वृक्ष है।

⑪

Vijayawada
विकास कृषि जायसवाल
पटवारी
ब.ह.न. 56, रा.नि.म. बिला.
वड. - दीपक जि. - कोरबा (छ.प्र.)

प्रश्नाधीन भूमि पर खेद, वृक्ष जिले को जाने हेतु अनुमति की मांग की गई है प्रजातिवार संख्या लंबाई / मोटाई / ऊँचाई निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वृक्ष का नाम	ऊँचाई	मोटाई	क्र.सं.	वृक्ष का नाम	मोटाई	ऊँचाई
1	हागोन	25 मी.	56 cm	25	हागोन	20 मी.	54 cm.
2	—	25 मी.	30 cm	26	—	20 मी.	20 cm.
3	—	25 मी.	40 cm	27	—	20 मी.	29 cm.
4	—	25 मी.	45 cm.	28	—	20 मी.	37 cm.
5	—	25 मी.	34 cm.	29	—	20 मी.	30 cm.
6	—	25 मी.	40 cm.	30	—	20 मी.	50 cm.
7	—	25 मी.	30 cm.	31	—	20 मी.	52 cm.
8	—	2 मी.	06 cm.	32	—	20 मी.	48 cm.
9	—	25 मी.	24 cm.	33	—	20 मी.	30 cm.
10	—	25 मी.	19 cm.	34	—	20 मी.	32 cm.
11	—	25 मी.	36 cm.	35	—	02 मी.	06 cm.
12	—	3 मी.	06 cm	36	—	20 मी.	21 cm.
13	—	20 मी.	37 cm.	37	—	20 मी.	30 cm.
14	—	22 मी.	38 cm.	38	—	20 मी.	34 cm.
15	—	20 मी.	36 cm.	39	—	20 मी.	38 cm.
16	—	20 मी.	34 cm.	40	—	20 मी.	37 cm.
17	—	20 मी.	40 cm.	41	—	20 मी.	30 cm.
18	—	20 मी.	45 cm.	42	—	20 मी.	22 cm.
19	—	20 मी.	30 cm.	43	—	20 मी.	25 cm.
20	—	20 मी.	19 cm.	44	—	20 मी.	22 cm.
21	—	20 मी.	17 cm.	45	—	20 मी.	50 cm.
22	—	20 मी.	43 cm.	46	—	20 मी.	18 cm.
23	—	20 मी.	42 cm.	47	—	20 मी.	17 cm.
24	—	20 मी.	34 cm.	48	—	20 मी.	20 cm.
				49	—	20 मी.	18 cm.
				50	—	20 मी.	22 cm.

विकास कुमार जायसवाल
पटवारी
ब.ह.न. 58, रा.नि.म. निहा.
तह. दीपका, जि. कोरबा (छ.)

नजरी नमूना

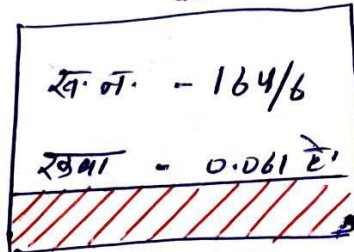
ग्राम - कर्हैयागाँव प.ह.न. 56 रा.नि.म. बिरडा तहसील दीपका

गङ्गन सिंह

उ.

वेन्सुसिंह

प.



पू.

वीरसाय

उ.

इतवार सिंह

टीप:- लाल रंगी से अंकित स्थान प्रश्नाधीन भूमि है जहाँ खार्गोन वृक्ष
उखाया गया है।

Vijaiswal
विकास कुमार जायसवाल
पटवारी
ब.ह.न. 56, रा.नि.म. बिरडा
तह. दीपका जि. कोरबा (छ.प्र.)